न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1708–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 77/अपील/2008–09.

श्रीमती नीलोफर पत्नि स्व0श्री मो0यामीन
निवासी मकान नं.64 सईदिया स्कूल रोड,
इतवारा भोपाल

.....आवेदिका

विरूद्ध

प्रतीक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल
निवासी एच.आई.जी.16 निशात कॉलोनी,
74 बंगला, भोपाल म0प्र0

.....अनावेदक

श्री प्रवीण शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री बी0एन0मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/2015 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 30–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24–4–2006 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 12–12–2008 को लगभग ढाई वर्ष से भी अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । चूँकि द्वितीय अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिये अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार

किया जाकर विलम्ब क्षमा किया गया एवं प्रकरण को गुणदोष पर अंतिम बहस हेतु नियत किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक संस्था द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील लगभग 970 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सद्भाविक होने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक संस्था द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 1–11–2008 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 4–11–08 को उसे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हो गई । इसके बावजूद भी अनावेदक संस्था द्वारा लगभग 40 दिन के पश्चात् द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है और 40 दिन के विलम्ब का कोई कारण आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है, जबकि पूर्व में अत्यधिक विलम्ब हो चुका था, तब अनोवदक संस्था को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत करना थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विलम्ब के प्रत्येक दिन का कारण दर्शाया जाना चाहिये था, जो कि अनावेदक संस्था द्वारा नहीं दर्शाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदन पत्र में अनावेदक संस्था द्वारा इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी किस दिनांक को हुई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और उसके पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में समय सीमा की गणना जानकारी के दिनांक से की जायेगी, अतः अपर आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना

अनावेदक संस्था को सुनवाई का अवसर दिये पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश पारित किया गया है और ऐसे आदेश में समय सीमा का कोई बंधन नहीं रहता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन 3 एकड़ भूमि आवेदिका द्वारा परमा से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, उसमें से 1 एकड़ भूमि अनावेदक संस्था को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 15–6–1995 को विक्रय की गई है । विक्रय पत्र में रुपये 1,99,000/– आवेदिका को चैक के माध्यम से भुगतान किये जाने का उल्लेख है, लेकिन संबंधित को–आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, पिपलानी शाखा, भोपाल द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त राशि का भुगतान आवेदिका को प्राप्त नहीं हुआ है । यहॉ यह महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि आवेदिका द्वारा एक एकड़ भूमि का विक्रय अनावेदक संस्था को किया गया है, परन्तु उसके द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 60 पर पारित आदेश दिनांक 2–11–1995 से सम्पूर्ण 3 एकड़ भूमि पर नामान्तरण कराया गया है, जो कि पूर्णत अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 2–11–95 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि पर सर्वप्रथम आवेदिका का नाम दर्ज किया जाये । तत्पश्चात् विक्रय पत्र में दर्शाई गई एक एकड़ भूमि के अन्तरण के संबंध में साक्ष्य लेते हुये विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, और अपर आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनोवदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है, कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अनावेदक संस्था का यह दायित्व था कि वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही के संबंध में समय

रहते जानकारी प्राप्त करते । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 30–5–2015 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर